प्रारूप–2

ग्राम :
फोन :01482–250901
ई–मेल :deo.ele.bhl@gmail.com
फैक्स :01482–250901

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी

(प्रारम्भिक शिक्षा), भीलवाड़ा राजस्थान

संख्यांक:जि.शि.अ./प्रा.शि./भील./मान्यता/आर.टी.ई./प्रा.वि./2011–12/BHL-63 दिनांक: 14–10–2011

प्रबन्धक,

ग्रीन वेली पब्लिक स्कूल पांसल रोड भीलवाड़ा

विषय :निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक **20.9.2011** के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्‌वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं **ग्रीन वेली पब्लिक स्कूल पांसल रोड भीलवाड़ा** (विद्यालय का नाम पते सहित) को सत्र **2011–12** से सत्र **2013–14** तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा **1** से कक्षा **8** तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन है:–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1)और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के **25** प्रतिशत तक आस–पड़ौस के कमजोर वर्गो और अलाभपद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।